मूलवाद सं0– 178/2018
रामस्वरूप सिंह बनाम धीरेन्द्र सिंह

04.05.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वाद बिन्दु विरचन पर बल दिया गया है। उभय पक्ष द्वारा सुलह समझौते से इन्कार किया गया।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाने हैं:–

(1) क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादित सम्पत्ति का मालिक, काबिज है एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का आधिकारी है?

(2) क्या वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है?

(3) क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

(4) क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

(5) क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

(6) वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

(7) क्या प्रतिवादीगण प्रतिदावे में वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादित गाटा सं0–366 के मालिक, काबिज है एवं वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश पाने का आधिकारी है?

(8) क्या प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है?

(9) क्या प्रतिदावे का मूल्यांकन कम किया गया है?

(10) क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

(11) क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

(12) प्रतिवादीगण किस अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अलावा न तो कोई वाद बिन्दु बनता है और न ही बनाने पर बल दिया गया है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रारम्भिक वाद बिन्दु हेतु दिनांक 20.05.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।